

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4065] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 18, 2019/अग्रहायण 27, 1941 No. 4065] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2019/AGRAHAYANA 27, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 16 दिसम्बर 2019

का.आ. 4524(अ).—यतः, मै. त्रिपुरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने त्रिपुरा राज्य के, दक्षिण त्रिपुरा जिले के सबरुम, पश्चिम जलेफा में कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतू विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अतंर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उनको उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतू उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (10) के अतंर्गत दिनांक 9 दिसम्बर, 2019 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा उक्त स्थान के 16.35 **हेक्टेयर** के नीचे दी गई तालिका में दिए गए सर्वेक्षण संख्याओं के क्षेत्र को अधिसूचित करती है, अर्थातः—

तालिका

क्रम. सं.	गांव/मौजा का नाम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	पश्चिम जालेफा, तहसील हरीना	5380/8063	1.15
2.		5381/8064	1.09
3.		5384	0.20
4.		5400	0.16
5.		5406	0.27
6.		5407	0.45
7.		5408	0.44

6493 GI/2019 (1)

		1	
8.		5411	0.59
9.		5412/8062	0.81
10.		5375	1.46
11.		5388	0.57
12.		5389	0.57
13.		5409	0.30
14.		5410	0.58
15.		5371	1.13
16.		5373	1.02
17.		5390/8572	1.89
18.		5391	1.49
19.		5392	1.13
20.		5393	0.81
21.		5405	0.24
	कुल		16.35

और अतः, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार है, अर्थातः—

1.	विशेष आर्थिक जोन का विकास आयुक्त	अध्यक्ष, पदेन
2.	निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एंव उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका	सदस्य, पदेन
	नामिती जिसका स्तर अपर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा	
3.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक	सदस्य, पदेन
4.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमाशुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	सदस्य, पदेन
	आयुक्त अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	
5.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा उसका नामिती जिसका	सदस्य, पदेन
	स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	
	निदेशक (बैंकिंग), वित मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार	सदस्य, पदेन
	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो अधिकारी जिनका स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा	सदस्य, पदेन
8.	जोन के विकासकर्ता का प्रतिनिधि	विशेष, आंमत्रिती

और यतः, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 53 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस तारीख से उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा।

[फा. सं. एफ. 1/3/2019-एसईजेड] बी. बी. स्वेन, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce) NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2019

S.O. 4524(E).—WHEREAS, M/s. Tripura Industrial Development Corporation Ltd. has proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a Sector Specific Special Economic Zone for Agro Based Food Processing at Paschim Jalefa, Sabroom, South Tripura District, in the State of Tripura;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the above sector specific Special Economic Zone on 9th December, 2019;

NOW, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, hereby notifies the **16.35 hectares** area comprising the Survey numbers and the area given below in the table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Name of Village/ Mouza	Survey No.	Area (in Hectares)
1.	Paschim Jalefa, Tehsil Harina	5380/8063	1.15
2.		5381/8064	1.09
3.		5384	0.20
4.		5400	0.16
5.		5406	0.27
6.		5407	0.45
7.		5408	0.44
8.		5411	0.59
9.		5412/8062	0.81
10.		5375	1.46
11.		5388	0.57
12.		5389	0.57
13.		5409	0.30
14.		5410	0.58
15.		5371	1.13
16.		5373	1.02
17.		5390/8572	1.89
18.		5391	1.49
19.		5392	1.13
20.		5393	0.81
21.		5405	0.24
Total			16.35

AND, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the above Special Economic Zone for the purposes of section 14 of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely:-

1.	Development Commissioner of the Special Economic Zone	Chairperson ex officio;
2.	Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and	Member ex officio;
	Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary	
	to the Government of India	
3.	Zonal Joint Director General of Foreign Trade having territorial jurisdiction over the	Member ex officio;
	Special Economic Zone	
4.	Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction over the Special	Member ex officio;
	Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	
5.	Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special Economic	Member ex officio;
	Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	
6.	Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division, Government of India	Member ex officio;
7.	Two officers, not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by the State	Member ex officio;
	Government	
8.	Representative of the Developer of the zone	Special invitee

AND, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby appoints the 16^{th} day of December, 2019 as the date from which the above Special Economic Zone shall be deemed to be Inland Container Depot under section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. F. 1/3/2019-SEZ]

B. B. SWAIN, Addl. Secy.